न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्–सह–विशेष न्यायाधीश (एस0सी0 / एस0टी0), सुपौल
एस0सी0 / एस0टी वाद सं0– 75 / 2025
सुपौल एस0सी0 / एस0टी0 थाना काण्ड संख्या– 28 / 2025
R.B. (SC/ST)- 20/2026

16 / 04 / 2026

काराधीन अभियुक्त सगमलाल यादव की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद कांत झा के द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी आवेदक बिल्कुल निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी अभियुक्त की ओर से इस जमानत आवेदन से पूर्व अन्य कोई भी जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्त का पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा उसके विरूद्ध लगाए गए सभी आरोप बिल्कुल बनावटी एवं मनगंढत है तथा स्थानीय राजनीति एव दुश्मनी के कारण उसे झुठा फंसाया गया है। प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप में धारा 119 (1), 76 बी0एन0एस0 एवं एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट के आरोपों को छोड़कर अन्य सभी आरोप जमानतीय प्रकृति का है तथा यह आरोप मुकदमा को गंभीर बनाने के लिए जोड़ा गया है। प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध लगाया गया आरोप आकर्षित नहीं होता है। प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 30 / 03 / 2026 से काराधीन है। प्रार्थी आवेदक सक्षम जमानतदार देने एवं न्यायालय की हर शर्त मानने को तैयार है। अतः प्रार्थी के विरूद्ध अधिवक्ता जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री सत्य नारायण मेहता द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

प्रस्तुत वाद सूचक कृष्ण मोहन पासवान के आवेदन के आधार पर प्रार्थी अभियुक्त सहित कुल 09 अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 126(2), 115(2), 76, 117(2), 119(1), 352, 351(2),3(5) BNS and 3(1)(r)(s)(i)(g)/3(2)(va) SC/ST Act added section 109 BNS के अन्तर्गत सुपौल अनु0 जाति / जन जाति थाना काण्ड सं0 28 / 25 दर्ज किया गया है। सूचक का संक्षेप में कथन है कि वो दिनांक 28 / 05 / 25 को समय करीब 11:30 दिन में एन0एच0–57 के उतर किनारे सूचक के जमीन पर रातों–रात प्रार्थी अभियुक्त सहित अन्य अभियुक्तों ने मिलकर मिट्टी बालू भरने लगा। इसकी सूचना जब सूचक अपनी पत्नी, माँ, भाई, भावों को दिये तो ये लोग रोकने गये। सभी को देखते ही अभियुक्त जगदीश साह ने जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर दुसधवा कहकर गाली गलौज देते हुए बोला कि मारो दुसधवा–दुसधनियां को। इसी बात पर हरिनारायण साह, राजेश साह, हरेराम साह, सत्यनारायण साह ने मिलकर मारपीट करने लगा। सूचक के पत्नी को अमला देवी और गुलाबो देवी ने झोंटा पकड़कर घसींटने लगा और सगमलाल यादव, इन्द्रजीत यादव लात–मुक्का से मारने लगा। उपेन्द्र पासवान को हरेराम साह और सत्य नारायण साह ने बाया कान में झापड़ मारा जिससे बांया कान से सुनाई देना बंद है। भाभो आशा देवी को गुलाबो देवी ने झोंटा पकड़कर घसींटा और ईटा से माथा पर मारा। सूचक की माँ को अमला देवी पकड़ी और गुलाबों देवी ने ईटा से सिर पर मारा। इस बात की सूचना भपटियाही थाना को दिये। थाना को देखते ही सभी लोग भाग गए। उसी दिन सभी लोग मिलकर 11 बजे दिन में बालू गिराना शुरू किया और जब रोकने गए तो हरि नारायण साह हाथ में लिए हुए रड से सूचक के सिर पर चलाया जिसे वह अपना दाहिना हाथ से रोका जिससे दाहिना हाथ के कलाई की हड्डी टुट गया जिससे वह गिर गया। पुनः इसकी सूचना भपटियाही थाना दिया। भपटियाही थाना को आते देख सब लोग भाग गया। जब भी मौका मिलता है उस जमीन में बालू–मिट्टी भरने लगता है। दिनांक 16 / 06 / 2025 को भी उपरोक्त सभी लोग मिलकर बालू–मिट्टी गिराकर झोपड़ी बनाने का प्रयास कर रहा था। जब सूचक अपने छोटा भाई उपेन्द्र पासवान के साथ रोकने गया तो फिर सभी मिलकर दोनों को मारपीट कर जख्मी कर दिया। इस बात को लेकर गॉव में पंचायती हुई परंतु पंच की बात नहीं माना।

उभय पक्ष को सुना। अभिलेख एवं काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी अभियुक्त प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है तथा प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक एवं उसके परिवार के सदस्यों के साथ जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर गाली गलौज करने एवं मारपीट करने का आरोप है। प्राथमिकी से स्पष्ट है कि प्रार्थी अभियुक्त सगमलाल यादव के विरूद्ध लात मुक्का से मारने का आरोप है। सूचक को मारने का आरोप सह–अभियुक्त हरिनारायण साह पर है तथा उसे पूर्व में दिनांक 16 / 12 / 2025 को इसी न्यायालय से जमानत पर मुक्त किया गया है। प्रार्थी अभियुक्त के जमानत आवेदन के कंडिका 3 के अनुसार उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। पार्थी अभियुक्त दिनांक 30 / 03 / 2026 से काराधीन है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों में प्रार्थी अभियुक्त सगमलाल यादव की ओर से दाखिल जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है। तदनुसार प्रार्थी अभियुक्त की ओर से मो0 10,000 / – रूपये के बंध पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभूओं के साथ जमानत बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

(दिलीप कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम–सह–
विशेष न्यायाधीष (एस0सी0 / एस0टी0), सुपौल